TDC-1st (H) Paper-II 03/06/2021

'महर' अथवा स्त्री-धन (Dower)

मुस्लिम विवाह में महर का निर्धारण एक अनिवार्य नियम है जिसे प्राप्त करने का स्त्री का सामाजिक और कानूनी अधिकार दिया गया है। महर का तात्पर्य उस धनराशि से है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है अथवा भविष्य में उसके भुगतान का वायदा किया जाता है। प्राचीन अरबी समाज में महर का तात्पर्य कन्या-मूल्य (bride-price) से था क्योंकि यह राशि वर पक्ष की ओर से कन्या के पिता को दी जाती थी। इस राशि को सदक कहा जाता था तथा कन्या के पिता का यह अधिकार था कि वह 'सदक' की राशि वर-पक्ष को वापस करके कभी भी अपनी कन्या को उससे स्वतन्त्र कर ले। इस्लाम धर्म में इस स्थिति में कुछ सुधार करके महर को स्त्री की सम्पत्ति

घोषित कर दिया गया जिससे इसका सम्बन्ध स्त्री को खरीदने से न जोड़ा जा सके। इस प्रकार प्राचीन अरबी व्यवस्था 'सदक' का प्रचलित स्थान वर्तमान 'महर' ने ले लिया। महर तीन प्रकार का होता है—

(1.) सत्वर महर (महर-मुअज्जल)—
यदि विवाह के समय या विवाह के तुरन्त बाद ही पति अपनी पत्नि को महर की राशि का भुगतान कर देता है, तब ऐसे महर को 'सत्वर महर' (Prompt Dower) कहा जाता है। साधारणतया महर के इस रूप का प्रचलन बहुत कम पाया जाता है।

(2.) स्थगित महर (Deferred dower)—
यदि महर की राशि का भुगतान विवाह के समय न किया जाये बल्कि इसे विवाह-विच्छेद होने अथवा भविष्य में किसी अन्य समय के लिये टाल दिया जाये तब इसे 'स्थगित महर' कहा जाता है। महर के इस रूप का प्रचलन मुसलमानों में सबसे अधिक है।

(3.) उचित महर (महर-मिस्ल)
यदि विवाह के समय महर की राशि तय न हुई हो और बाद में किसी समय स्त्री अपने पति से इसकी माँग करे अथवा पति से तलाक मिल जाने के कारण इसके भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो जाये तब मुस्लिम कानून (शरियत) के अनुसार तय किये गये महर को 'उचित महर' कहा जाता है। यह महर

न्यायालय द्वारा भी तय हो सकता है अथवा वर और वधू पर पारस्परिक समझौते से भी इसका निर्धारण हो सकता है। सामान्यतः ऐसे महर की राशि या तो लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है अथवा उसके पति के परिवार में अन्य स्त्रियों को प्राप्त होने वाली महर की राशि के बराबर रखी जाती है।